न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 72/2021 (उदयपुर डिक्री)

दीपक मेघवाल पिता श्री अंबालाल मेघवाल, निवासी माली कॉलोनी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल पिता स्व. पेमा उर्फ प्रेमचन्द खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
2. तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
3. रायसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी रामगिरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी,बड़गांव दिनांक 04–03–2021 प्रकरण सं. 418/2019

———::———

उपस्थित :– 1–डॉ. गिरधारीलाल शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक04–07–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बड़गांव में आराजी नंबर 434, 435, 436, 462, 463 कुल किता 5 रकबा 0.5350 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी के पिता पेमाजी के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज होकर वसीयत से वादी के नाम दर्ज है तथा वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 का है। उक्त आराजियात पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी की होकर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–02–2020 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04–03–2021 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–08–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल एवं श्री भैरूलाल खटीक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 अभिभाषक श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया किप्रत्यर्थी/विपक्षी द्वारा मूल वाद संख्या 418/2019 में जिन प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद पेश किया, उस सभी प्रतिवादीगण से अपीलान्ट/प्रार्थी ने विवादित आराजियात दिनांक 03–09–2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है, तब से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, जिसकी जानकारी विपक्षीगण को होते हुए भी उसे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया एवं एकपक्षीय डिक्री हासिल कर ली, जो प्रार्थी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभषक अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि के रजिस्टर्ड [illegible] बताते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। ताईद [illegible] शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अपीलान्ट विवादित भूमि का रजिस्टर्ड क्रेता है तथा इसी उसे इसी आराजियात से संबंधित न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य अपील संख्या 69/2021 व 71/2021 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 के रूप में संयोचित किया है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मूल वाद संख्या 418/2019 में जिन प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद पेश किया, उस सभी प्रतिवादीगण से अपीलान्ट/प्रार्थी ने विवादित आराजियात दिनांक 03–09–2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है, तब से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने जिस भूमि का बंटवारा किया वहां मौके पर लोगों के मकान बने हुए हैं तथा अपीलान्ट का 1/2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। इसके बावजूद तहसीलदार ने सही रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मिली भगत कर मुख्य सड़क पर स्थित भूमि विभाजन से प्राप्त कर ली है, जबकि वास्तव में उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे एवं प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) RJ पेज 161, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) RJ पेज 111, आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (2) RJ पेज 1251, आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (2) RJ पेज 761, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) RJ पेज 789, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) RJ पेज 281, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) RJ पेज 66, आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (2) RJ पेज 1173 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहत निवेदन किया कि उनके द्वारा विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है, जबकि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण पुनः गुणावगुण पर उभयपक्षों की बहस सुनकर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 7 एवं सिविल टाईम्स 2009 (1) राज. पेज 299 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलीपरउपलब्धरेकार्डकाध्यानपूर्वकअवलोकनकिया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया।अपीलान्ट विवादित भूमि का रजिस्टर्ड क्रेता होना रेकार्ड अनुसार प्रमाणित होता है, जबकि वह अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, जिससे वह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। चूंकि न्यायालय हाजा में इसी विवादित आराजियात के संबंधित अन्य अपील संख्या 69/2021 व 71/2021 जिसमें अपीलान्ट भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 के रूप में प्रतिस्थापित है। उक्त दोनों की अपीलें न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी तद्नुसार प्रश्नगत अपील को भी रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested